राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4382/2022

कमलेश

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अति. निदेशक (प्रशा.) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.01.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष चौधरी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपील में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबडी, धीरसिंह, झुन्झुनू से उप केन्द्र, बींजावल, बाडमेर में 600 किमी. दूर किया गया। अपीलार्थी अंतरित कर्मी है एवं आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रिया कलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है। उक्त नियम के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण पंचायतीराज विभाग की पूर्व सहमति/स्वीकृति से ही किया जा सकता है।
2. उसका कथन है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत है। ऐसे में पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने की सरकार की नीति है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उसका कथन है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष माना गया है, जबकि अपीलार्थी अधिशेष नहीं है। उसका कथन है कि अपीलार्थी के दो संतान है, जो कि क्रमशः कक्षा 2 व कक्षा 8 में अध्ययनरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सत्र के बीच में किया गया है, जिससे अपीलार्थी के बच्चों की पढाई पर विपरीत प्रभाव

पडेगा। अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दूसरे जिले में 600 किमी. दूर किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा समायोजन/पदस्थापन किया गया, क्योंकि अपीलार्थी पीएचसी, डाबडी धीरसिंह में अधिशेष के रूप में कार्यरत थी। विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2022 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिशेष होने के कारण अन्यंत्र पदस्थापन/ समायोजन किया गया है, अपीलार्थी एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) है तथा एलएचवी (महिला स्वास्थ्य दर्शिका) के पद के विरूद्ध पीएचसी डाबडी धीरसिंह में कार्यरत थी। अतः अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक की संज्ञा में आती है।
4. उनका कथन है कि राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि राज्य सेवा में कार्यरत पति–पत्नी को एक ही स्थान अथवा नजदीक के स्थान पर ही पदस्थापित किया जाये। जहां तक दूरी का प्रश्न है, प्रशासनिक आवश्यकता में अपीलार्थी को राज्य की सीमा के भीतर कहीं पर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। माननीय न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
5. उनका कथन है कि अपीलार्थी की पारिवारिक समस्या के संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है, फिर भी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाईयों के आधार पर कोई कार्मिक राहत प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए, माननीय न्यायालयों ने इन आधारों पर स्थानान्तरण आदेशों में हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।
6. हमने उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
7. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है। प्रकरण से

संबंधित रिकार्ड तथ्यों एवं संबंधित आदेशों/निर्देशों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकःप. 11(1) मं.मं./2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उसके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) के अनुसार स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जाती होती है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 में यह माना गया है कि :–

> "as the Division Bench has approved the transfers, on account of consent granted by the Minister for Medical and Health Services, Government of Rajasthan, who has been given independent charge of Medical and Health Services under the Panchayati Raj Department, which has been held as sufficient, the same would suffice." ……. "Further, the said consent can only suffice in cases of inter-district transfers in terms of Rules 8 [iii] of the Rules of 2011, which requires consent of the Panchayati Raj Department for effecting inter district transfers.''

8. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रटि पिटिशन संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबीयार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 में यह माना गया है कि :–

> "That the respondents are under obligation to comply with the provisions of Rule 8(iii) of the Rules of 2011 and are required to specifically seek approval of the concerned minister, even if the minister is same for both the Departments."

9. इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में पारित आदेश दिनांक 17.8.2022 में राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम. 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना जाकर राज्य सरकार की अपील स्वीकार की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 10796/2022 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 में पारित आदेशें में यह माना गया है कि राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानान्तरणों के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में प्रत्येक आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में यह अनिवार्य (Mandatory) रूप से लिखा ही जावे कि पंचायतीराज के अधीनस्थ विभाग के (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में उल्लेख किए जाने के निर्देश नहीं है, वरन् उक्तानुसार मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना पर्याप्त माना है। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त आदेश प्रशासनिक कारणों से जनहित में जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आलोच्य आदेश के संबंध में पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री के पास ही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टता राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है।

10. अपीलार्थी की अन्य आपत्ति अपीलार्थी के अधिशेष नहीं होने के सम्बन्ध में रही है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रकट है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर कार्यरत है एवं वर्तमान में उसे एलएचवी के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है एवं कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी स्वयं के पद पर कार्यरत नहीं होकर अन्य पद के विरूद्ध कार्यरत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

11. अपीलार्थी केवल मात्र इस आधार पर कि उनके पति भी राजकीय सेवा में है, स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कराये जाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में वह अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकता है।

12. अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है एवं उसका स्थानान्तरण 600 किमी. दूर अन्य जिले में नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007 (2) 276 में यह माना गया है कि दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण के आदेश में दूरी के आधार पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, जबकि उसमें किसी विधि या नियम का उल्लंघन नहीं हो।

13. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को देखते हुए वर्तमान आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः हस्तगत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)